राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 11559/2017</u>

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

अशोक कुमार
जी-16, स्वेज फार्म, नन्दपुरी सोडाला
जयपुर , राजस्थान

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
लोक सुचना अधिकारी
दी कॉन्वेट सी0सै0 स्कूल,प्लाट
नं.19, सांगानेर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।

2. मैंने पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

3. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 14-2-17 दी केस्टल कान्वेन्ट सीनियर सैकण्ड्री स्कूल को प्रस्तुत कर शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में किये गये प्रवेश आदि के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का आवेदन निजी स्कूल को प्रस्तुत कर विद्यालय में आर.टी.ई. एक्ट के तहत किये गये छात्रों के प्रवेश आदि के संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्यर्थी स्कूल किस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2(एच) के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आता है एवं ना ही यह अंकित किया है कि संबंधित स्कूल किस प्रकार से समुचित सरकार द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

5. उपरोक्त विवरण अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः संबंधित स्कूल, अधिनियम-2005 के तहत परिधि में नहीं आने के कारण स्कूल को किसी भी प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये जा सकते एवं संबंधित स्कूल को अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

6. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

8. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त